न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 304/2025

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. चन्दनगिरी पुत्र मालगर 2. हरिगर पुत्र मालगर (जाति गोस्वामी, निवासी फतापूरा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर)		1. रमेश कुमार पुत्र भलाराम जाति कलबी, निवासी आखराड, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा (जालोर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2022

उपस्थित–
1. श्री नवरतन चारण, वकील अपीलांट्स
2. श्री सुखदेव पटेल वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2

निर्णय

दिनांक 3 .02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा जिला जालोर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–रमेश कुमार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि ग्राम आखराड के खसरा नं0 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर के पडौस में अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खसरा नम्बर 708 रकबा 1.53 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी के खसरान के सीमांकन को पडौसी खातेदारान द्वारा नही मानने से सीमा विवाद है व मौके पर सीमांकन की कार्यवाही स्थगित की गई। अतः इसके निपटारे हेतु सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार तहसीलदार रानीवाडा को ख0नं0 1119/709 एवं 708 के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी हेतु

कमेटी गठित कर, दोनो पक्षों के रूबरू सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी द्वारा ख0नं0 1119/709 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु गलत तथ्यों पर आधारित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र में सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाकर, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य राजस्व वाद लंबित है, जिसका निपटारा राजस्व वाद के निर्णय से ही होना है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट के बिना एकतरफा पारित कर दिया गया है, रेस्पो0 जरिये नेखमबंदी आदेश अपीलांट को खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि से बेदखल करना चाहता है। अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर बिना फाईडिंग के पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया। वकील अपीलांट ने सहायक कलेक्टर रानीवाडा में प्रस्तुत दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निशेधाज्ञा दिनांक 06.07.2022 के वाद की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम आखराड के खसरा नं0 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि के काबिज काश्त व खातेदार है। जिसके पडौस में अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खसरा नम्बर 708 रकबा 1.53 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी के खसरान के सीमांकन को पडौसी खातेदारान द्वारा नही मानने से सीमा विवाद है व मौके पर सीमांकन की कार्यवाही स्थगित की गई। आलौच्य प्रकरण में नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजस्व वाद के विचाराधीन रहते नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया गया, जिसके लिए अपीलाधीन आदेश में अप्रार्थी को द्वितीय सेटलमेंट के दौरान भूल के लिए पृथक से वाद में अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होना बताते हुए पत्रावली में मौजुद साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार

राजस्व रेकर्ड के तहत प्रार्थी के ख0नं0 1119/709 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि की उभय पक्ष के रूबरू पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया। रेस्पो0 अधिवक्ता ने पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 25.01.2022 ओखाराम बहक रमेश कुमार की प्रति प्रस्तुत की गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर ग्राम आखराड के ख0नं0 1119/709 व ख0नं0 708 के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में उल्लेखित है कि अपीलांट–अप्रार्थी द्वितीय सेटलमेंट के दौरान भूल के लिए पृथक से वाद में अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने सहायक कलेक्टर रानीवाडा के समक्ष दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2022 के वाद की छाया प्रति मात्र प्रस्तुत की गई है, जिसमें न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा के समक्ष प्रस्तुतिकरण का अंकन तक नही है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3-2-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

3/2/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर